न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

उपस्थित—राकेश पाण्डेय, एच0जे0एस, प्रभारी

(J.O. Code- UP 2397)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—426/2026

(C.N.R. No. UPST010013322026)

श्रीमती सुनीता पत्नी अजय विश्वकर्मा, निवासी ग्राम दहियावां, थाना पीपरपुर, जिला अमेठी।

........................प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0—117/2024,
धारा—115(2), 352, 351(2), 351(3), 110, 117 बी0एन0एस0
थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी।

1. उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती सुनीता के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2024 को सुबह करीब 9 बजे विपक्षीगण संजय, अजय, विजय व सुनीता आये और वादी मुकदमा की दीवार के बगल रखी गिट्टी फेंकने लगे बोले ये रास्ता है यहॉ से गिट्टी हटावो जब वादी के पिता राम अभिलाष गुप्ता व वादी की भाभी अंजनी देवी गिट्टी फेंकने से मना करने लगे तो सभी लोग गाली—गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर वादी के पिता व भाभी को लाठी—डण्डे व ईंट पत्थर से मारने लगे, जिससे उसके पिता व भाभी को सिर में गम्भीर चोट आयी और उसके पिता बेहोश होकर गिर गये, वादी दूध लेकर पीपरपुर डेरी पर गया था। सूचना मिलने पर घर पहुॅचकर देखा तो उसके पिता जी बेहोश पड़े थे। वादी के पिता व भाभी के सिर से खून बह रहा था। कुछ देर बाद होश में आने पर थाने लेकर आया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता कानून कायदे से अनभिज्ञ देहाती पर्दानसीन महिला है, महज गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर रंजिशन फंसाया गया है एवं प्रार्थिनी बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थिनी का के विरूद्ध कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी भी अदालत से दोषसिद्ध करार दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक मजरूब श्रीमती अंजनी को दो चोटें आना कहा है। मजरूब राम अभिलाख की चोटों के अनुसार साधारण चोटों का उल्लेख किया है तथा सिर की चोट का सिटी स्कैन कराने का निर्देश दिया गया है। मजरूब रामअभिलाख के सिर में लाइन की

तरह फ्रैक्चर पाया जाना कहा गया है, जिसके कारण अभियोग में धारा 110 भा0न्या0सं0 दर्ज किया गया है, जिसकी सजा मात्र 7 वर्ष तक ही है। प्रार्थिनी घर की अकेली महिला है पति बसिलसिले रोजगार बाहर रहता है। प्रार्थिनी के छोटे–छोटे बच्चे हैं, इनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर वादी मुकदमा शिव बहादुर गुप्ता व उनके परिजनों को मारपीटकर जानलेवा हमला कर चोटें पहुचाने का अभियोग है। कथित घटना में वादी मुकदमा के पिता व भाभी को चोटें आना कहा गया है। दोनों चोटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल की गयी है। चोटहिल रामअभिलाष गुप्ता के सिर पर आयी चोट सीटी स्कैन के लिए सन्दर्भित की गयी थी। सीटी स्कैन रिपोर्ट पत्रावली में उलब्ध है, जिसके सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भादर अमेठी की अनुपूरक आख्या प्रस्तुत की गयी है। अनुपूरक आख्या में सिर की हड्डी टूटी पायी जाने का उल्लेख है। दूसरे चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट में सभी चोटें सामान्य पायी गयी है। अभियोजन की ओर से प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्ता आज तक अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

7. प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर आरोपित अपराध में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में प्रार्थिनी/अभियुक्ता विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य** में अवधारित निष्कर्ष के प्रकाश में जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

8. अतः चोटहिलों की चोटों की प्रकृति तथा प्रकरण के अन्य समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना न्यायालय जमानत हेतु मामला उपयुक्त पाती है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती सुनीता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के द्वारा मु0 50,000/– रू0 (पचास हजार रूपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तों के अधीन, जमानत पर मुक्त किया जावे–

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित

नहीं करेंगी और न ही उन पर दबाव डालने का कोई प्रयास इत्यादि करेंगी।

2— प्रार्थिनी / अभियुक्ता विचारण के दौरान आरोप विरचन की तिथि, बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किये जाने की तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी।

3— प्रार्थिनी / अभियुक्ता अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेंगे और न ही उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ करेंगी।

4— माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19 / एडमिन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अन्तर्गत दाण्डिक अपील संख्या 2407 / 1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत जमानतनामे स्वीकृत करते समय प्रतिभूओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगे।

sd/-

(राकेश पाण्डेय)
प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायायाधीश,
कक्ष संख्या—1, सुलतानपुर।

05—03—2026

रोहित कुमार,
आशुलिपिक